FORM NO. 03

# अज अदालत उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

शैक्षा प्रधान राउमावि नारायण खेड़ा बनाम तहसीलदार रायपुर

किस्म मुकदमा धारा 136 LR Act मु.नं. 17/2022 ता. 28/5/22

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई |
|---|---|---|
| 28/5/22 | शैक्षा प्रधान रा.उ.मा. विद्यालय नारायण-खेड़ा द्वारा आवेदन पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नारायण खेड़ा में स्थित आराजी नं. 276 रकबा - 1.48 है, आ.नं. 281 रकबा 1.73 है. कुल किता-02 रकबा 3.21 है० रा.मा.वि. नारायण खेड़ा के नाम भवन व खेल मैदान हेतु लीज डीड पर दर्ज है। दिनांक 15.05.2015 को माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में स्कूल क्रमोन्नत हो गया है जिसे रा.मा.वि. नारायण खेड़ा के नाम की भूमि राउमावि नारायण खेड़ा के नाम दर्ज की जावे।<br><br>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार रायपुर से कराने पर प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों का सत्यापन कर भूमि रा.उ.मा.वि. के नाम दर्ज करने की अभिशंषा की है।<br><br>मैने पत्रावली में उपलब्ध [illegible] पटवारी एवं विद्यालय क्रमोन्नत आदेश का अवलोकन किया तो पाया कि रा.मा.वि. [illegible] क्रमोन्नत होकर वर्तमान मे रा.उ.मा.वि नारायणखेड़ा के नाम से संचालित है ऐसी स्थिति में मा. विद्यालय के बजाय राजस्व | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:30:51 IST
Reason: SelfAttested

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| | रिकॉर्ड में रा.उ.मा.वि के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है।<br>अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम नारायण खेड़ा में स्थित रा.मा.वि. नारायण खेड़ा के नाम दर्ज भूमि आ.न. 276 रकबा 1.48 है. आ.न. 851 रकबा - 1.73 है किता-02 रकबा 3.21 है. भूमि रा.उ.मा.वि. नारायण खेड़ा के नाम दर्ज की जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br>25/05/2022<br>सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)<br>(मुहर: कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर) |

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:30:51 IST
Reason: SelfAttested